(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 161 **नई दिल्ली 16 अक्तुबर 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, विशाखापतणम पत्तन न्यास पर बर्थ सं. ईक्यू-8 और ईक्यू-9 के प्रचालन के लिए वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं.टीएएमपी/33/2004-वीएसएल

वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) ..... आवेदक

आदेश
(सितंबर 2008, के 30 वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापट्टणम पत्तन न्यास पर बर्थ सं. ईक्यू-8 और ईक्यू-9 के प्रचालन के लिए वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड़ के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबन्धित है।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 जनवरी 2008 को वीएसपीएल के वर्तमान दरमान (एसओआर) की वैधता को 30 जून 2008 तक अथवा अनुमोदित होनेवाले संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तार प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया था।

3. जैसाकि दिनांक 12 जून 2007 को आयोजित संयुक्त सुनवाई में घोषित किया गया था, वीएसपीएल ने लागत अनुमानों को परिशोधित करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है तथा प्रारंभ में प्रस्तावित दरमान में भी परिशोधन का प्रस्ताव किया है।

4. अनिश्चित की जानवाली संयुक्त सुनवाई के पश्चात् संशोधित प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में लेते हुए कि दिनांक 30 जून 2008 को वर्तमान दरमान की वैधता समाप्त हो गयी है, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता को 30 दिसंबर 2008 तक अथवा अनुमोदित होनेवाले संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष